वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को आयोजित प्रबंध मंडल की 97वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 97वीं बैठक दिनांक *11 अक्टूबर, 2019* को अपरान्ह 12.15 बजे विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रो0(डॉ0)आर.एल. गोदारा, माननीय कुलपति महोदय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया:–

1. प्रो0 (डॉ0)आर.एल. गोदारा, — अध्यक्ष
   कुलपति
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

2. श्री एल0 एन0 सोनी — सदस्य
   संभागीय आयुक्त, कोटा
   (प्रतिनिधि अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग,राज0सरकार)

3. प्रो0 प्रदीप साहनी — सदस्य
   मानविकी एवं सामाजिक विद्यापीठ
   इंदिरा गांधी रा0 मु0 वि0वि0,
   नई दिल्ली

4. प्रो0 राम मिलन — सदस्य
   विभागाध्यक्ष, वाणिज्य
   लखनऊ विवश्वविद्यालय,
   लखनऊ

5. प्रो0 एन.के. जैमन, — सदस्य
   विज्ञान संकाय
   कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

6. प्रो0एच0बी0 नंदवाना — सदस्य
   निदेशक (अकादमीक) एवं आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,अजमेर।

16/10/19

1/5

7. प्रो0 बी0 अरूण कुमार — सदस्य
निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें, परीक्षा नियंत्रक एवं
आचार्य, राजनीति विज्ञान,वमखुविवि,कोटा।

8. डा0 रश्मि बोहरा — सदस्य
निदेशक, क्षे0के0
वमखुविवि,उदयपुर।

9. श्री एस.डी0 मीणा — सचिव
कुलसचिव
वमखुविवि,कोटा।

10. श्री संदीप चौहान — विशेष आमंत्रित
नियंत्रक (वित्त)
वमखुविवि,कोटा।

प्रो0 (डॉ0) आर.एल. गोदारा, माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता मे प्रबन्ध मण्डल की पहली बैठक होने के कारण सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने अपना परिचय दिया एवं उपस्थित समस्त सदस्यों से परिचय प्राप्त किया। तदुपरांत कुलसचिव महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया।

आवश्यक गणापूर्ति की सुनिश्चितता के बाद कुलसचिव महोदय ने माननीय कुलपति महोदय से अनुमति प्राप्त कर विधिवत बैठक प्रारंभ करते हुए कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा की गई एवं निम्नानुसार निर्णय किए गए:–

97/01 प्रबंध मंडल की 96वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी 2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल की 96वीं बैठक का कार्यवाही विवरण समस्त सदस्यगणों को दिनांक 16 जनवरी 2019 को प्रेषित कर दस दिवस में टिप्पणी मांगी गई थी , किसी सदस्य की ओर से से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

16/10/19

97/02 प्रबंध मंडल की 96वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी 2019 के निर्णयों की अनुपालना में की गई कार्यवाही के अनुपालना प्रतिवेदन का वाचन एवं पुष्टि का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल की 96वीं बैठक के निर्णयों के क्रम में सदस्यो द्वारा प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया एवं की गई पालना पर संतोष प्रकट करते हुए अनुपालना प्रतिवेदन की पुष्टि की गई।

97/03 वित्त समिति की 58वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2019 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

दिनांक 04 अक्टूबर 2019 को आयोजित वित्त समिति की 58वीं बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति के निर्णय संख्या 58/03 से 58/05 में विश्वविद्यालय बजट के सम्बन्ध में आय/प्राप्तियों–व्यय वर्ष 2019–20 के लिए संशोधित एवं वित्तिय वर्ष 2020–21 लिए प्रस्तुत किए गए बजट का सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया।

इस संबंध में श्री एल.एन. सोनी, संभागीय आयुक्त, कोटा का मत था कि कुछ मदों मे बजट की अनुमानित राशी में अत्यधिक अंतर आ रहा है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। नियंत्रक (वित्त) ने बजट संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं अनुमानित बजट की राशी में निम्न मदों में संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की गई।

1. परीक्षा मद में अनुमानित प्राप्ति के आधार पर वर्ष 2019–20 में संशोधित बजट रू0 14.00 करोड़ के स्थान पर रू0 11.00 करोड़ तक सीमित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही वास्तविक व्यय संबंधी जानकारी आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

2. V.C. Discretionary Fund में वर्ष 2019–20 के लिए रू01.00 लाख का बजट आवंटन करने एवं वर्ष 2020–21 हेतु अनुमानित बजट रू. 1.00 लाख का प्रावधान करने पर सहमति व्यक्त की गई।

इसके साथ ही साथ ही कर्मचारी कल्याण कोष (SWF) से दिये जाने वाले ऋण संबंधी नियमों में ऋण राशी की सीमा भी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया जिस पर सहमति व्यक्त की गई।

आय–व्यय विवरण में उक्त संशोधनों के पश्चात वित्त समिति के कार्यवाही विवरण एवं वार्षिक लेखे (Balance Sheet) का अनुमोदन सदन द्वारा किया गया।

16/10/19

97/04 विद्या परिषद की 59वीं बैठक दिनांक 05 अक्टूबर 2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 59वीं बैठक दिनांक 05 अक्टूबर 2019 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन प्रस्ताव पर प्रो0 एन0के0 जैमन का मत था कि किस विषय में कितने संकाय सदस्यों की आवश्यकता है,इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव विद्या परिषद में प्रस्तुत कर उसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। माननीय कुलपति महोदय ने आश्वस्त किया कि शिक्षकों के रिक्त एवं अन्य आवश्यक पदों के संबंध में ठोस एवं विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र ही राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएंगे ।
उक्त चर्चा उपरांत विद्या परिषद की 59वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

97/05 निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति का अनुमोदन।

निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

97/06 अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से करवाने के राजभवन से प्राप्त निर्देश के सम्बन्ध में निर्णय।

राजभवन से प्राप्त निर्देश के अनुरूप 3600/–ग्रेड–पे तक के अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से करवाने पर विचार किया गया एवं विस्तृत चर्चा के दौरान यह पाया गया कि कुछ माननीय सदस्यों की सहमति थी एवं कुछ माननीय सदस्यों की असहमति थी, अतः निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव पर पुर्नविचार कर आगामी प्रबंध मंडल की बैठक में रखा जावे।

97/7(1) : Asian Association of Open Universities (AAOU) की पूर्णकालीन सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रस्ताव

देश के अधिकांश मुक्त विश्वविद्यालयों की तरह AAOU की सदस्यता ग्रहण करने बाबत प्रस्ताव के अनुमोदन के साथ AAOU को US$ 600 (यू0एस0 डॉलर छः सौ मात्र) वार्षिक सदस्यता शुल्क के भुगतान का अनुमोदन किया गया।

97/7(2) : राज्य सरकार से विधि अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (deputation) पर लगाये जाने बाबत प्रस्ताव ।

इस संबंध में चर्चा की गई एवं विधि अधिकारी राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर न लेकर संविदा पर किसी सेवा निवृत्त विधि अधिकारी को नियुक्ति करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया ।

16/10/19

बैठक के अंत में प्रो0 एन0 के0 जैमन का मत था कि एसोसियशन की सदस्यता ग्रहण करना अथवा राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक लेने आदि प्रस्ताव प्रशासनिक निर्णय के तहत निर्धारित हो जाने चाहिए इनमें कोई नीतिगत प्रस्ताव नहीं है, प्रबंध मंडल के समक्ष नीतिगत प्रस्ताव ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिस पर अन्य सदस्यों द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

16/10/19

कुलसचिव एवं
सचिव (प्रबंध मंडल)